दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 09.07.2015 की कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0शुक्ला	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
6.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
7.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
12.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
14.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
15.	प्रो0 लालजी त्रिपाठी	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो0 एच0एस0शुक्ल	विशेष आमंत्रित
17.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निवर्तमान सदस्य डॉ0 हरेश प्रताप सिंह, प्राचार्य, रतनसेन डिग्री कालेज, बॉसी, सिद्धार्थनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य, महाविद्यालय, भटौली बाजार, गोरखपुर; डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर; डॉ0 महेश्वर सिंह, उपाचार्य–कृषि विभाग, बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया तथा डॉ0 यशवन्त सिंह, उपाचार्य– वनस्पति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की।

तत्पश्चात् बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के सत्र 2015–2016 में शैक्षणिक कार्य संचालन के सम्बन्ध में विचार किया गया।

कार्य परिषद् ने सत्र 2015–2016 में शैक्षणिक कार्य संचालन के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा समस्त संकायाध्यक्षों की गठित समिति की संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा की तथा निम्नवत् रूप में स्वीकार किया गया–

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 के बिन्दु संख्या– 40 में निर्णय लिया है कि जिस तरह

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने की व्यवस्था उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या : 1864/सत्तर–2–2013–16(246)/2010 दिनांक 25.11.2013 एवं 272/सत्तर–2–2014–16(246)/2010 टी0सी0 दिनांक 25.04.2014 में की गयी है, उसी प्रकार वर्तमतान में शिक्षकों की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय में भी शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अधिनियम/परिनियम की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुिए अध्यापन कार्य लिया जाय। उक्त व्यवस्था में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया–

1. राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राजकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के सहायक आचार्य/सहयुक्त आचार्य या आचार्य पद से सेवानिवृत्त अध्यापकों से 70 वर्ष की उम्र तक निश्चित मानदेय पर अध्यापन कार्य किया जाय।
2. विश्वविद्यालय के प्रत्येक शैक्षणिक विभाग में रिक्त पदों का विषयवार विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा कुलसचिव को उपलब्ध कराया जाय।
3. रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों के चयन हेतु सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष, विभाग के वरिष्ठतम् शिक्षक एवं अधिष्ठाता की एक समिति होगी, जिसके द्वारा चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
4. उपरोक्त बिन्दु 3 में उल्लिखित समिति द्वारा संस्तुत की गयी सूची का अनुमोदन कुलपति जी द्वारा किया जायेगा।
5. अनुमोदनोपरान्त शिक्षकों की सूची कुलसचिव द्वारा सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी जो उन शिक्षकों से आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य लेंगे।
6. मानदेय पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को निम्नलिखित मानदेय देय होगा–

1.	सहायक आचार्य स्तर	रू0 400–00 प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम् रू0 20,000–00 प्रति माह।
2.	सहयुक्त आचार्य स्तर	रू0 500–00 प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम् रू0 22,000–00 प्रति माह।
3.	आचार्य स्तर	रू0 600–00 प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम् रू0 25,000–00 प्रति माह।

7. विश्वविद्यालय के शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद यदि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं और वे विश्वविद्यालय आवास में रह रहे हैं तो उनसे कार्यरत अध्यापकों की तरह आवास किराया एवं विद्युत खर्च लिया जाय और उनके आवासों की मरम्मत भी सेवारत शिक्षकों की तरह अभियन्ता कार्यालय द्वारा कराया जायेगा। इस प्रकरण को आवास आवंटन समिति को सन्दर्भित किया गया।

8. बिन्दु संख्या 6 में निर्धारित की गयी मानदेय की धनराशि पेन्शन के अतिरिक्त होगी और इस मानदेय पर कोई मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

9. शिक्षकों के चयन के समय शिक्षकों की सेवा अभिलेखों के आधार पर मेरिट बनायी जाय तथा शिक्षण हेतु इनकी मानसिक/शारीरिक क्षमता का भी आंकलन किया जाय।

10. उक्तानुसार पूर्णतया अस्थायी मानदेय शिक्षक की व्यवस्था सम्बन्धित विषय के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के 30 जून, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाय और अगले वर्ष हेतु पुनः नवीन चयन किया जाय।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन को अवगत करा दिया जाय।

कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत शिक्षण, शोध आदि कार्यों में आ रही गुणात्मक कमी पर चिन्ता व्यक्त की तथा रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापित पदों को भरने में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु शासन से अनुरोध करने का भी निर्णय लिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति